



महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सलोनी कुमारी
शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग
ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश :-

एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना है। वर्तमान युग को वैचारिकता का युग कहा जा सकता है। अगर स्त्रीया माता अथवा गृहिणी के संस्कार, शिक्षा-दीक्षा आदि उत्तम नहीं होगी तो यह समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे सकती है? समाज के लिए स्त्री का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना जरूरी है और शिक्षा से ही सम्भव है। जब स्त्री की स्वयं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणों से उन्नत होगी तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पायेंगी क्योंकि एकता स्त्रियों स्वयं राष्ट्र की आधी से कम जनसंख्या है तथा दूसरा बच्चे, युवा प्रौढ़ और वृद्धजन उन पर अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला द्वारा शक्ति और संसाधनों की प्राप्ति से है जिससे कि वे अपने विषय में महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकें एवं दूसरों के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का विरोध कर सकें। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रथम और मूलभूत साधन है। प्रस्तुत लेख में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है तथा महिला शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएँ हैं उनको दर्शाने का प्रयत्न किया गया है।

मूलशब्द – सशक्तिकरण, सहसंबंध, प्रजातांत्रिक, मूलभूत, समाज, शिक्षित, संसाधन।

प्रस्तावना :-

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती

है। शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, वरन उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। महिला की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है। न्यून शैक्षिक स्तर का सीधा प्रभाव है इस मानव पूंजी (महिला) का निम्न स्तरीय विकास, कुशलता का निम्न स्तर तथा श्रम बाजार में न्यून भागीदारी। महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।

शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार “किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है। उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुँच है तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सशक्त और सबला बनती है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों, गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना, जिनको व्यवहार में लाकर व अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके और यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993-99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ ही प्रजननता को कम करके, बच्चों के उचित पालन पोषण तथा माता-पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है। सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तिकरण होता है। आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरुष प्रधानता तथा वर्चस्व ध्वस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होंगे कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह जायेगी और एक नयी समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयेगी जिसमें महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व होगा।

“संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है।

महिलाओं की दयनीय दशा के लिए अशिक्षा मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं जैसे-जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है महिलाओं की परिस्थिति भी परिवर्तित हो रही है। शिक्षा ने महिलाओं के अनेक क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त किये हैं। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं। शिक्षा का प्रसार होने से महिलाएँ परम्परागत बंधनों, पुराने विचारों व अन्धविश्वासों से मुक्त हो रही है। वे अपने कार्यों को अपने विवेक से करने की सामर्थ्य रखती हैं। आधुनिक शिक्षित महिला पुरुष की दासता को स्वीकार नहीं करती। वे पुरुष के समान अपने अधिकारों के पक्ष में हैं।

प्रारम्भिक काल में महिला शिक्षा का उपयोग महिला को एक पत्नी व माता के परम्परागत कर्तव्यों के और अधिक कुशलता पूर्वक करने के योग्य बनाना था, न कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी अधिक दक्ष व कुशल भागीदारी हेतु उन्हें सक्षम करना था। धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन आया तथा विशेष रूप से स्वतन्त्रता के बाद महिला शिक्षा के महत्व को उसके विविध व विस्तृत आयामों के सन्दर्भ में देखा जाने लगा और इन्हीं विविध आयामों में शामिल हैं, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के अर्थपूर्ण प्रयासों की सम्भावना। आज स्पष्टतः यह स्वीकार किया जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला, समाज में अपनी सशक्त, समान एवं उपयोगी भूमिका दर्ज कर सकती है।

भारत में स्वतन्त्रता के बाद संविधान के द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकारों ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में भूमिका निर्वाह करने के लिए महिलाओं का आह्वान करके उनकी स्थिति सुधारने हेतु नये-नये आयाम प्रस्तुत किये। संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीतिनिर्देशक सिद्धान्त घोषित किया गया है। इसमें कहा गया, राज्य इस सिद्धान्त के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

आज महिलाओं के मानवीय अधिकारों तथा समाजों व राष्ट्रों के विकास, दोनों ही सन्दर्भों में महिला शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाने लगा है। यही कारण है कि आज भारत में लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा प्रमुख नीतिविषयक तत्व बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में न केवल महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समस्याओं की चर्चा की गयी है बल्कि साथ ही शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया गया है। इस हेतु लैगिंग विषयताओं की समाप्ति को भी मुख्य प्राथमिकता देने की इस शिक्षा नीति में चर्चा है। किसी राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है जबकि उस समाज में महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। इन अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धान्तिक मान्यता के साथ-साथ समाज में व्यवहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। महिलाओं की स्थिति की जांच करने से

स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि यद्यपि कानून व सैद्धान्तिक सन्दर्भ में उनके अधिकारों व अवसरों में कोई कमी नहीं है परन्तु व्यवहारिक स्वीकार्यता के सन्दर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाये हैं।

“संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है।

पूरे विश्व में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। भारत में स्वतन्त्रता के समय यह स्थिति अत्यन्त विकट थी। पुरुषों में साक्षरता की दर 20 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 82 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखण्ड आदि राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है जहाँ केवल 51 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। इस परिस्थिति से स्पष्ट होता है स्वतन्त्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है।

❖ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए योजनाएँ :-

केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा है। इसमें प्रमुख रूप से बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ योजना है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। 100 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ यह योजना शुरू में देशभर के सौ जिलों में शुरू की गयी। खासकर उन जिलों में जहाँ लिंगानुपात बेहद कम था। बाद में इसका विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया है। इस योजना के तारतम्य में हर लड़की के लिए पैसे बचाने की और लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना शुरू की। बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह पहल की गयी। यह योजना माता पिता को अपनी लड़की की बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

साथ ही केन्द्र की ओर से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3.479 उपखण्डों में दसवीं और बारवीं कक्षा की छात्राओं के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावासों की स्थापना की है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की 14 से 18 साल की ऐसी बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं।

भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए करतूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारम्भ किया गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत पहले दो वर्ष

तक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला सामख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शुरू की गयी थी। बाद में इसे सर्वशिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

❖ उद्देश्य :-

❖ महिला शिक्षा के महत्व को समझना :-

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण संघटक है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है कि किस प्रकार शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक है। या शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं में तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विप्लेशणात्मक कौशल प्राप्त होगा जो उन्हें अपमान पूर्ण और मानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करेगा।

❖ शिक्षा एवं सशक्तिकरण के सहसम्बन्ध को ज्ञात करना :-

प्रस्तुत अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा और सशक्तिकरण में क्या सहसम्बन्ध है? शिक्षा महिलाओं को पितृसत्तात्मक ज्ञान, नियमों, मूल्यों, व्यवहार पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सामूहिक कार्यवाही और चिन्तन की एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

महिलाओं की परिस्थिति में हो रहे परिवर्तनों पर शिक्षा के प्रभाव को समझना

अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की परिवर्तित परिस्थिति पर शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? सशक्तिकरण में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के महिलाओं की परिस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असम्भव है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आयी है, वे अपने बारे में सोचने लगी है, उन्होंने महसूस किया है कि घर से बाहर भी जीवन है महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। महिलाएं न केवल सामान्य शिक्षा, बल्कि विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हो आज महिलाएँ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर रही हैं, वायु सेना और नौ सेना में अपनी सेवा प्रदान कर रही है।

❖ महिला शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाओं को समझना

शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं का सशक्तिकरण सम्भव है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि वे कौन-कौन सी बाधाएँ हैं जिनके कारण महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। अध्ययन में पाया गया है लैंगिक भेदभाव, पारिवारिक परम्पराएँ, पर्दाप्रथा, बाल विवाह, निर्धनता, सामाजिक, आर्थिक पहलू घर से विद्यालय की दूरी आदि महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाएँ हैं।

❖ महिला शिक्षा की बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करना है। शिक्षा के अभाव में महिला सशक्तिकरण असम्भव है। अतः उन बाधाओं को जो महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में बाधक है कैसे दूर किया जाये इस विषय पर अध्ययन में प्रकाश डाला गया है।

❖ महिला शिक्षा में आने वाली बाधाएँ :

स्वतन्त्रता के बाद से केन्द्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को शिक्षा की धारा में शामिल करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही हैं। वर्ष 2001 में समय साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी तथा पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 75.85 प्रतिशत तथा 54.16 प्रतिशत थी। 2011 में समग्र साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी तथा पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 82.14 प्रतिशत तथा 66.46 प्रतिशत थी। यद्यपि पिछले दशकों से महिला साक्षरता में अधिकतम सुधार हुआ है फिर भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग आज भी शिक्षा से वंचित है। महिला शिक्षा के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएँ हैं –

❖ शिक्षा में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव :

भारत में शिक्षा में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव देखने को मिलता है। स्कूलों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा प्रवेश लेते हैं और एक निश्चित स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। लड़कियाँ घर पर अपनी माताओं का हाथ बटाती हैं, बाहर काम पर जाती हैं या अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करती हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक प्रवेश लेते हैं और लड़कियाँ निचले स्तर के पाठ्यक्रमों तथा कालेजों में जाती हैं। विज्ञान, टेक्नोलॉजी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियों के बीच असमान वितरण है। किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उनके अभिरूचियों में कोई अन्तर है।

❖ बाल विवाह

अभिभावक बेटियों की पढ़ाई को विवाह पर होने वाले खर्च के साथ जोड़ते हैं। इसी कारण वे अपनी लड़कियों को उसी स्तर तक पढ़ाते हैं जहाँ वे उनके लिए सुयोग्य वर ढूँढ़ सका छोटी आयु में विवाह होने के कारण लड़कियों को पढ़ाई के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते।

❖ निर्धनता

निर्धनता लड़कियों को शिक्षित होने के अवसरों में स्पष्ट रूप से बाधा डालती है। अध्ययन दर्शाते हैं कि निर्धन परिवारों में लड़कियाँ गृहकार्य पूरा करती हैं। छोटे बहन भाईयों की देखभाल करती हैं और कृषि कार्यों में अपने माता पिता का हाथ बटाती हैं। उनके पास विद्यालय जानें के लिए समय नहीं बचता। लड़को के कार्य से भिन्न लड़कियों के कार्य को महिलाओं द्वारा किये जाने वाला कार्य समझा जाता है।

❖ सामाजिक, आर्थिक पहलू

माता पिता की बेटे और बेटियों के समाजीकरण में भेदभाव की मनोवृत्ति दोनों को भूमिका और दायित्व निर्धारित करने में प्रकट होती है। दिल्ली के विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभिभावकों पर किये गये एक अध्ययन से पता लगता है कि उन्हें अपने बेटों और बेटियों से भिन्न-भिन्न अपेक्षाएँ होती हैं। बेटों से प्रायः घर से बाहर के कार्य करने के लिए कहा जाता है जबकि बेटियों से रसोई घर में हाथ बटवाने की आशा की जाती है। माता पिता बेटे की पढ़ाई को भविष्य में अच्छे रोजगार अवसरों के लिए एक निवेश मानते हैं जिसके द्वारा उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित हो जायेगी। बेटे की पढ़ाई पर इस तरह की बातों का ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए उसे प्राथमिकता नहीं दी जाती। ❖ घर से विद्यालय की दूरी

अभी भी ऐसे असंख्य बच्चे हैं जिनके लिए प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचना आसान नहीं है। ये समस्या लड़कियों के मामले में उच्चतर प्राथमिक स्तर पर और भी गम्भीर हो जाती है। सर्वेक्षण से पता लगता है कि केवल 37 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को निवास स्थान के नजदीक उच्चतर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। इसमें से तीन किलोमीटर की सीमा में 48 प्रतिशत बच्चों को एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 15 प्रतिशत आबादी 3 किलोमीटर से अधिक दूर है। जिन पांच राज्यों में प्रोब सर्वेक्षण हुआ था यहाँ पाया गया कि जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं वहाँ लड़कियों प्रायः कक्षा पांच के बाद पढ़ाई छोड़ देती है। इसका कारण यह है कि माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांवों में भेजना पसंद नहीं करते। ।

❖ अध्यापिकाओं की उपस्थिति तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

विद्यालय में अध्यापिकाओं की उपस्थिति लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने में एक निर्णायक निवेश के रूप में कार्य करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ महिला साक्षरता दर कम है वहाँ अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी बहुत कम है। प्राथमिक स्तर में वहाँ कमश 25.49 प्रतिशत और

19.84 प्रतिशत अध्यापिकाएँ हैं। यह केरल के विपरीत है जहाँ उच्चतम साक्षरता दर के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी उच्च है। प्रोबा सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के अनेक भागों में अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए अध्यापिकाएँ होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा लड़कियों को अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जैसे लड़कियों के लिए अलग शौचालय। छठा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण बताता है कि भारत में केवल 5.12 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों तथा 17.17 प्रतिशत उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय है।

“हावर्ड विश्वविद्यालय विश्व आर्थिक मंच तथा लंदन बिजनेस स्कूल द्वारा किये गये सर्वेक्षण में दुनियाँ की 60 प्रतिशत जनसंख्या के आंकड़ों को शामिल किया गया। इस सबक्षण में आर्थिक साझेदारी व अवसर शिक्षा स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच अन्तर को मापने की कोशिश की गयी। इंडेक्स द्वारा जारी 115 देशों की सूची में दुनियाँ का एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ इन चारों क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों में समानता है। सूची में महिला सशक्तिकरण के मामले में स्वीडन पहले स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब सबसे नीचे। अमेरिका को 22 वां स्थान मिला है। फिलीपींस दुनियाँ के उन पाँच देशों में से एक मात्र एशियाई देश है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला पुरुष असमानता को समाप्त किया है।”

शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1996) ने स्पष्ट किया कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा। विश्व शिक्षा रिपोर्ट (1995) में स्पष्ट किया गया कि “दुनियाँ के निर्धन देशों में महिला एवं बालिकाएं घर की चार दीवारी में बन्द हैं। अशिक्षित माँ अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती हैं और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इससे गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनन्त चक्र प्रारम्भ होता है।

अधिकांश मामलों में यह मान लिया जाता है कि महिला को एक अच्छी पत्नी और सेवा निष्ठ माँ बनना है। यदि उसके पास समय है और वह कुछ बनना चाहती है तो वह क्लर्क या अध्यापिका बन सकती है। ऐसी स्थिति में विज्ञान और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में कैरियर बनाने पर समय और निवेश करने में कोई तुक नजर नहीं आती। यदि संसाधनों के निवेश का प्रश्न उठता है तो संसाधन निरन्तर लड़का की तकनीकी शिक्षा पर लगाये जाते हैं। यदि लड़कों की बहनों की भी वही रुचियाँ हैं तो वे महिलाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों को लेने की ओर चली जाती हैं। इन निर्णयों को लेने के पीछे यह भावना काम करती है कि लड़कियाँ कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही अधिक अच्छा काम कर सकती हैं। अतः निर्धनता, सामाजिक, सांस्कृतिक विसंगतियाँ एवं सामाजिक कुरीतियाँ महिला शिक्षा में बाधक हैं।

सुझाव :-

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता, लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा।

महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूर का कम किया जाना चाहिए। जनता में महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारको तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। आवासीय कन्या पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को निर्धन पिछड़े तथा कमजोर वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए टोस का उठाने की आवश्यकता है। संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में जहाँ महिलाएं काम करती हैं। बालगृहों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लड़कियों को स्कूल छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर न रुकना पड़े।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिना शिक्षा के किसी को भी सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। महिला शिक्षा में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि समाज महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगी भावना रखकर अपना योगदान देगा तो शिक्षित महिलाओं में वृद्धि होगी। शिक्षा से ही महिलाओं में आत्म विश्वास, आत्म जागृति एवं अपने अधिकारों तथा सरकार के द्वारा दिये जाने वाले अवसरों की जानकारी हो सकेगी जिससे वे अपने कौशल का विकास कर सकेगी एवं स्वावलम्बी बनकर अपने महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सकेंगी। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या शिक्षा को प्रमुख वरीयता दी है। प्रदेश सरकार यह प्रयास रहा है कि आधी आबादी को शिक्षा के द्वारा इतना सशक्त बनाया जाये कि वह न केवल स्वयं बल्कि समाज को एक नई दिशा व दशा प्रदान कर सके।

संदर्भ सूची :-

1. अलतेकर, डॉ अनन्त सदाशिय : "प्राचीन भारतीय शिक्षण", नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स, वाराणसी. 1968 पृष्ठ 155
2. मिश्र, डॉ जयकर प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली. 1992 पृष्ठ 416
3. भाग्यलक्ष्मी जे : "महिला अधिकारिता बहुत कुछ करना शेष" योजना, अग्रस्त 2008, पृष्ठ-24।
4. देवपुरा प्रतापमल : महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व कुरुक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006
5. मकोल नीलम, शर्मा सदीप : सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2006।
6. लदानिया, एम.एम. (1989) : "समाज शास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ", रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
7. असारी, एम.ए. (2001), : "महिला और मानवाधिकार", ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
8. मिश्रा के के. (1965) : "विकास का समाजशास्त्र, वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर।
9. श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999) : "भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति", कॉमनवेल्थस पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
10. जैन, प्रतिभा (1998), "भारतीय स्त्री सांस्कृतिक सन्दर्भ". रावत पब्लिकेशन जयपुर।
11. तिवारी, आर.पी. (1999) : "भारतीय नारी: वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान" नई दिल्ली।
12. बधेला, डॉ. हेत सिंह (1999) : "शिक्षा मनोविज्ञान", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा 13. कानिटकर मुकुल : भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका, योजना सितम्बर 2016
14. व्यास डॉ० मिनाक्षी : नारी चेतना और सामाजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशनस, कानपुर, 2008